International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 14-05-2025, Accepted: 13-06-2025, Published: 28-06-2025
Volume 11, Issue 2, 2025, Page No. 97-100

शिक्षा की जड़ें मातृभाषा में: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रांतिकारी दृष्टिकोण

पारस यादव
सहायक प्रोफेसर, संविदा, भारतीय जन संचार संस्थान, आईआईएमसी, पूर्वी भारत क्षेत्रीय केंद्र, ढेंकानाल, ओडिशा, भारत

सारांश
यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बताता है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चों का संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक और भावनात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। लेख में बताया गया है कि मातृभाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सोच, अनुभव, पहचान और संस्कृति की संवाहिका है। नीति के अनुसार कक्षा 5 (या संभव हो तो 8) तक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे सहज रूप से सीख सकें। लेखक ने इस पर भी बल दिया है कि यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और बहुभाषी समुदायों के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है। लेख में मातृभाषा आधारित शिक्षा के लाभ, क्रियान्वयन की चुनौतियाँ जैसे शिक्षक की कमी, संसाधनों की उपलब्धता और पालकों की मानसिकता तथा उनके समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। NISHTHA जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को इस दिशा में सक्षम बनाने के प्रयासों का उल्लेख भी किया गया है। अंततः लेख यह स्थापित करता है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा आत्मनिर्भर, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत की आधारशिला बन सकती है।

मूल शब्दः मातृभाषा आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), प्रारंभिक शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास, समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शैक्षिक दिशा और दर्शन को पुनः परिभाषित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह नीति 34 वर्षों के बाद आई है और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशी, बहु–विषयक, और मातृभूमि की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। NEP 2020 में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर विशेष बल दिया गया है। यह एक दूरदर्शी कदम है जिसका लक्ष्य है बालकों में भाषा कौशल, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास करना । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक ऐतिहासिक और व्यापक नीति दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशी, सुलभ, गुणात्मक और आधुनिक बनाना है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष मातृभाषा को शिक्षा के प्रारंभिक माध्यम के रूप में अपनाना है। NEP 2020 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर (कम से कम कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक) की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। यह निर्णय न केवल बच्चों की सहज समझ, संप्रेषण और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे अधिक आत्मविश्वास से सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है, और वे जड़ों से जुड़े रहते हैं।

मातृभाषा की अवधारणा और महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक और गुणात्मक सुधार लाना है। इस नीति का मूल दर्शन यह है कि बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखते हुए उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाए। इसी संदर्भ में, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम माना गया है। NEP 2020 इस विचार को दृढ़ता से प्रस्तुत करती है कि बच्चे अपनी घर की भाषा या मातृभाषा में सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। यह नीति ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करने की वकालत करती है जहाँ बच्चे अपनी मूल भाषा में सहजता से सीख सकें, जिससे उनकी सांस्कृतिक समझ और आत्मपहचान मजबूत हो सके। नीति भाषाई विविधता को एक बोझ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में देखती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं, यह नीति भाषिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए शिक्षा को माध्यम बनाना चाहती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा जन्म से ही सुनता, समझता और अनुभव करता है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि उसकी सोच, भावनाओं, पहचान और सामाजिक परिवेश से गहराई से जुड़ी होती है। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का भी स्पष्ट मत है कि मातृभाषा में सीखना अधिक प्रभावी, सहज और स्थायी होता है।

NEP 2020 में भाषा की भूमिकारू शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा की शिक्षा में केंद्रीय भूमिका को स्वीकारते हुए उसे शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार मानती है।

1. भाषा और शिक्षा का संबंधरू शिक्षा और भाषा का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भाषा ज्ञान अर्जन का प्रमुख माध्यम है। NEP 2020 स्पष्ट करती है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। इससे विद्यार्थियों की स्वाभाविक समझ विकसित होती है, वे अधिक आत्मविश्वास से सीखते हैं, और उनकी सोचने–समझने की क्षमता बेहतर होती है।
2. भाषा और सामाजिक समावेशनरू किसी समाज में पूर्ण समावेश तभी संभव है जब व्यक्ति उस समाज की भाषा से परिचित हो। NEP 2020 भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए मातृभाषा के माध्यम से सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है, विशेषकर दूरदराज और वंचित समुदायों के लिए।
3. भाषा और संस्कृतिरू भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। जब हम अपनी भाषा बोलते हैं, तो उसमें हमारी परंपराएं, मूल्य और जीवनशैली अंतर्निहित होती हैं। नीति भारतीय भाषाओं को सशक्त कर सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने पर बल देती है।
4. भाषा और वैश्वीकरण: वैश्विक संवाद में अंग्रेज़ी की भूमिका

को स्वीकारते हुए, नीति बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है। यह मानती है कि मातृभाषा के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी में दक्षता विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करती है।

5. भाषा और मानसिक विकास: बालकों की संज्ञानात्मक व मानसिक क्षमता भाषा के माध्यम से विकसित होती है। मातृभाषा में शिक्षा उन्हें सहजता से सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने का अवसर देती है, जिससे उनका समग्र विकास संभव होता है।
6. भाषा का संरक्षण और संवर्धन: भारत की अनेक भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। NEP 2020 शिक्षा को भाषा संरक्षण का माध्यम मानती है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, सामग्री और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से भाषाओं को जीवित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा का स्थान और उसका शैक्षिक मनोवैज्ञानिक महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बनाने की सशक्त अनुशंसा की गई है। नीति के अनुसार, कक्षा 5 तक (और जहां संभव हो, कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा संबंधित क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे व्यापक रूप से लागू करने पर बल दिया गया है। इसके लिए पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण–सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी मातृभाषा आधारित शिक्षण को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षकों को बालक की भाषायी पृष्ठभूमि के अनुरूप पढ़ाने की दक्षता प्राप्त हो।

शैक्षिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से मातृभाषा बालक के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक जिस भाषा में सोचता और अनुभव करता है, उसी भाषा में सीखने से उसकी समझने की शक्ति और सीखने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। मातृभाषा उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वह कक्षा में अधिक सहज, आत्मविश्वासी और सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा में अपनी बात अभिव्यक्त करने से बालक की सृजनात्मकता और कल्पनाशक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर पाता है। इस प्रकार, मातृभाषा न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि यह बालक के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक सशक्त आधार भी है।

मातृभाषा आधारित शिक्षा के बहुआयामी लाभ

मातृभाषा आधारित शिक्षा न केवल बालकों की समझ को आसान बनाती है, बल्कि उनके समग्र शैक्षिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, तो उसे विषय–वस्तु को समझने में आसानी होती है। वह अधिक स्वाभाविक रूप से सोचता है, प्रश्न करता है और उत्तर देता है, जिससे उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्कशक्ति और संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। यह शिक्षा उसे भावनात्मक सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करती है, क्योंकि मातृभाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि एक संस्कृति की संवाहिका होती है। मातृभाषा में दी गई शिक्षा बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ती है, जिससे उनमें आत्मगौरव और सामाजिक समरसता की भावना उत्पन्न होती है। नैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवहार और नागरिक जिम्मेदारियों की शिक्षा जब अपनी भाषा में दी जाती है, तो बच्चे उसे सहजता से आत्मसात करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों को सीखने में सुविधा और गति प्राप्त होती है। वे नए विषयों और अवधारणाओं को अधिक गहराई से समझते हैं, जिससे उनका शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है। मातृभाषा में शिक्षा से साक्षरता, नामांकन और उपस्थिति दर में भी वृद्धि होती है, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए यह अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होती है। इससे शिक्षक भी सहज रूप से पढ़ा पाते हैं और अभिभावक अपने बच्चों के साथ शैक्षिक संवाद में सक्रिय भागीदारी निभा पाते हैं।

भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में, जहां विविध भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं, वहां मातृभाषा आधारित शिक्षा भाषाई विविधता को सम्मान देने का माध्यम बनती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस विविधता को मान्यता देते हुए मातृभाषा को प्राथमिकता देती है, जिससे बच्चों की सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है। साथ ही, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, मातृभाषा आधारित शिक्षा, समावेशी, सशक्त और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – त्रिभाषा सूत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 त्रिभाषा सूत्र को दोहराते हुए भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और संतुलित भाषा शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पूर्व की नीतियों-जैसे 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों-में भी त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से मातृभाषा, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय या विदेशी भाषा सिखाने की संकल्पना रही है, परंतु इसके कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियाँ सामने आईं, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी माध्यम का बढ़ता प्रभुत्व। NEP 2020 इन अनुभवों से सीखते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत करती है। यह नीति प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा का पसंदीदा माध्यम मानते हुए बच्चों को मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा (जैसे अंग्रेज़ी) का संतुलित ज्ञान प्रदान करने पर बल देती है। इसके साथ ही, नीति बहुभाषिक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर स्थानीय भाषाओं में सामग्री की उपलब्धता, और भाषाई विविधता के संरक्षण की अनुशंसा करती है।

ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को NEP 2020 ने शिक्षा की आधारशिला माना है, जहाँ 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इस चरण में मातृभाषा के उपयोग से बच्चों को अपनेपन का अनुभव होता है, वे अधिक सहज रहते हैं और सीखने की प्रक्रिया आनंददायक व अनुभवात्मक बनती है। यह प्रारंभिक स्तर पर भाषाई उलझनों और मनोवैज्ञानिक अवरोधों को भी कम करता है।

इसके अतिरिक्त, नीति तकनीकी और उच्च शिक्षा में भी मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करना, अनुवाद एवं द्विभाषी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और भारतीय भाषाओं में शोध लेखन को प्रोत्साहित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस प्रकार, NEP 2020 मातृभाषा के प्रयोग को केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि भाषा के प्रति संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण के साथ संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में उसकी सार्थक भूमिका सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 में भी मातृभाषा के संस्तुति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुसार, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के समग्र विकास, सीखने की गति और सांस्कृतिक जुड़ाव को गहराई

प्रदान करती है। मातृभाषा न केवल बाल साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता को सशक्त करती है, बल्कि बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणना के कौशल को भी बेहतर बनाती है। जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं, तो वे अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ शैक्षिक अवधारणाओं को समझते हैं, विशेषकर गणितीय संकल्पनाओं जैसे जोड़, घटाव और तुलना को। मातृभाषा समावेशी शिक्षा का भी आधार बनती है, क्योंकि यह आदिवासी, सीमांत, पिछड़े वर्गों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को सरल और सुलभ बनाती है, साथ ही अल्पसंख्यक भाषाओं और संस्कृतियों को भी शिक्षा में स्थान देती है। रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के विकास में मातृभाषा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जब अपनी भाषा में सोचते और व्यक्त करते हैं, तो वे अधिक मौलिक, आत्मविश्वासी और कल्पनाशील बनते हैं। कविता, कहानी, चित्रकला जैसे रचनात्मक कार्य मातृभाषा में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल शिक्षा के बढ़ते परिप्रेक्ष्य में भी मातृभाषा की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। DIKSHA जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर बहुभाषी डिजिटल सामग्री का निर्माण, और AI आधारित तकनीकों जैसे Text-to-Speech एवं Text-to-Speech की मदद से मातृभाषा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना संभव हो पाया है। इस प्रकार, मातृभाषा शिक्षा को न केवल सशक्त करती है, बल्कि उसे समावेशी, नवाचारी और तकनीकी रूप से उन्नत भी बनाती है।

मातृभाषा में शिक्षा रू भविष्य की संभावनाएँ

भारत की विविध भाषाएं केवल सांस्कृतिक पहचान का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे नवाचार, विकास और आत्मनिर्भरता की व्यापक संभावनाओं से भी जुड़ी हुई हैं। मातृभाषा में शिक्षा और अभिव्यक्ति का विस्तार भारत को भाषाई रूप से समृद्ध एवं वैश्विक स्तर पर प्रभावी राष्ट्र बना सकता है। यदि तकनीकी नवाचार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सामाजिक उद्यम भारतीय भाषाओं में विकसित किए जाएं, तो वे अधिकाधिक लोगों तक पहुँचकर व्यापक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में मातृभाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले शोध और साहित्य सृजन से ज्ञान की लोकतांत्रिक पहुँच सुनिश्चित होगी। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसे क्षेत्रों में यदि स्थानीय समस्याओं के समाधान मातृभाषा में प्रस्तुत किए जाएं, तो लोगों की भागीदारी और समाधान की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस प्रकार, मातृभाषा न केवल शिक्षा को सशक्त करती है, बल्कि एक समावेशी, नवाचारी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

मातृभाषा आधारित शिक्षारू क्रियान्वयन की चुनौतियाँ, समाधान एवं सुझाव

मातृभाषा आधारित शिक्षा की उपयोगिता जितनी स्पष्ट है, उसका क्रियान्वयन उतना ही जटिल और बहुआयामी है। व्यवहारिक, सामाजिक, प्रशासनिक व संरचनात्मक स्तरों पर कई चुनौतियाँ सामने आती हैं जिनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जैसे –

क्रम	चुनौती / मुद्दा	विवरण	समाधान / सुझाव
1.	शिक्षकों की उपलब्धता	सभी विषयों के लिए मातृभाषा में दक्ष शिक्षक उपलब्ध कराना कठिन।	• NISHTHA जैसे कार्यक्रमों द्वारा भाषाई प्रशिक्षण।• क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति नीति में बदलाव।
2.	पाठ्यसामग्री की कमी	कई भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध नहीं हैं।	• NCERT, SCERT द्वारा डिजिटल व मुद्रित सामग्री निर्माण। • DIKSHA पर बहुभाषी संसाधन अपलोड।
3.	पालकों की मानसिकता	मातृभाषा को हीन समझना और अंग्रेजी को प्राथमिकता देना।	• जनजागरण अभियान। • पालक–शिक्षक संवाद कार्यक्रम।
4.	प्रशासनिक व राजनीतिक समर्थन की कमी	राज्यों व प्रशासन की सक्रियता व प्रतिबद्धता की कमी।	• नीति–निर्माताओं हेतु दिशा–निर्देश व मॉनिटरिंग तंत्र। • राज्यों में मातृभाषा शिक्षा नीति लागू करना।
5.	बहुभाषी समाज में माध्यम भाषा का चयन	भारत में कई बोलियाँ बोली जाती हैं, माध्यम चुनना जटिल।	• NEP 2020 में लचीलापनरू राज्य, विद्यालय व समुदाय द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्णय।
6.	डिजिटल साक्षरता व सामग्री का अभाव	डिजिटल संसाधनों की मातृभाषा में कमी और उपयोग में कठिनाई।	• टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण। • Text-to-Speech, भाषायी अनुवाद टूल्स का उपयोग।
7.	स्थानीय नवाचारों का अभाव	शिक्षकों को स्थानीय सन्दर्भ में नवाचार की स्वतंत्रता कम।	• नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम। • बच्चों की भाषाई रचनात्मकता को मंच देना।

NISHTHA प्रशिक्षण में मातृभाषा आधारित शिक्षण पर बल

NISHTHA (National Initiative for School Heads* and Teachers* Holistic Advancement) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया एक व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, बीआरसीसी/सीआरसीसी और शिक्षा अधिकारियों की पेशेवर दक्षताओं का विकास करना है। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के शिक्षकों को फेस–टू–फेस (ऑफलाइन) प्रशिक्षण देने से हुई, जिसे NCERT ने विकसित किया और SCERTs, DIETे तथा अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से लागू किया। वर्ष 2020 में COVID–19 महामारी के कारण इस कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड में रूपांतरित किया गया और DIKSHA पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए और ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई। 2021 से आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में NISHTHA को व्यापक रूप से विस्तार मिला। DIKSHA पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल – निष्ठा 1.0 (elementary के लिए), निष्ठा 2.0 (secondary के लिए), निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 (FLN), निष्ठा 4.0 (ECCE), उपलब्ध है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

NISHTHA प्रशिक्षण दो स्वरूपों में संचालित होता हैरू ऑफलाइन प्रशिक्षण जो कार्यशालाओं, संवाद और गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है, जबकि ऑनलाइन प्रशिक्षण DIKSHA पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमें वीडियो, पीडीएफ, क्विज़ और असाइनमेंट सहित समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं और [ECCE] FLN तथा सेकन्डेरी स्तर पर प्रशिक्षण का क्रमिक विस्तार निरंतर जारी है। यह कार्यक्रम मातृभाषा आधारित शिक्षण, समावेशी कक्षा प्रबंधन, और नवाचारी पद्धतियों को बढ़ावा देकर NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। UNESCO तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भी NISHTHA की सकारात्मक प्रभावशीलता की सराहना की गई है। यह कार्यक्रम आज भारत

में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षक शिक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर बन चुका है।

NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम ने देशभर में लाखों शिक्षकों को मातृभाषा आधारित शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया है। इस प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप कक्षा–कक्ष की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है – बच्चे अब अधिक सहज महसूस करते हैं, कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं और उनकी भाषाई अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में संवाद करते हैं, तो संप्रेषण की स्पष्टता, विचारों की प्रस्तुति और समझ की गहराई में उल्लेखनीय सुधार होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मातृभाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि बालक के संपूर्ण विकास का आधार बन सकती है।

NISHTHA कार्यक्रम ने यह भी प्रमाणित किया है कि जब शिक्षक शिक्षण के प्रति प्रेरित और सक्षम होते हैं, तो मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवहारिक रूप से न केवल संभव है, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी होती है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूनेस्को सहित अनेक शोध संस्थानों ने यह प्रमाणित किया है कि जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करते हैं, वे बाद में अन्य भाषाओं में भी अधिक दक्षता प्राप्त करते हैं। यह बहुभाषिकता को सशक्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

मातृभाषा आधारित शिक्षा कृ समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना एक दूरदर्शी, वैज्ञानिक और बालकेंद्रित निर्णय है। यह न केवल शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि यह सामाजिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और मानसिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को उनकी पहचान और जड़ों से जोड़ती है, आत्मविश्वास से भरती है और उन्हें अपने परिवेश में सीखने के लिए सहज बनाती है।

यदि इस नीति को समुचित योजना, प्रशिक्षित शिक्षक, संसाधन विकास और समुदाय की भागीदारी के साथ लागू किया जाए, तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यह शिक्षा को केवल जानकारी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे अनुभव, संवेदना और सृजन से जोड़ती है। इसके माध्यम से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव है जो समावेशी, स्वदेशी, नवाचारी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखे।

अतः मातृभाषा आधारित शिक्षा केवल एक शैक्षिक निर्णय नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है, जो भारत की बहुलता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को शिक्षा के माध्यम से पोषित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

संदर्भ-सूची

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. "नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020." जुलाइ 2020. https:@@www-education-gov-in@sites@upload&files@mhrd@files@nep&update@NEP&final&HI&0-pdf
2. एनसीईआरटी. "नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 – लैंग्वेज टीचिंग पोज़िशन पेपर." 2005. https:@@ncert-nic-in@pdf@nc&framework@hindi-pdf
3. यूनिसेफ. "अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऐंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. " एक्सेस्ड जून 2025. https:@@www-unicef-org@education@early&childhood&education
4. यूनेस्को. "एजुकेशन इन अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड." 2003. https:@@unesdoc-unesco-org@ark:@48223@pf0000129728
5. यूनेस्को. "इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू लर्न?" 2016. सर्च टर्म्स: "UNESCO mother tongue education]ß ÞUNESCO multilingual education policy-ß
6. एनसीईआरटी. "करिकुलम ऐंड ट्रेनिंग डायरेक्टरी." वेरियस ईयर्स.
7. भारत सरकार. "निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स." डीक्षा पोर्टल. https:@@diksha-gov-in
8. एससीईआरटी / डीक्षा. "मदर टंग–बेस्ड टीचिंग मटेरियल्स. " स्टेट लेवल सोर्सेज.
9. कोठारी कमीशन. "एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट (1964–66)." मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
10. भारत सरकार. "राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 (RTE)."
11. मोहंती, अजीत कुमार. "मदर टंग–बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन इंडिया." रिसर्चगेट, 2020. https:@@www-researchgate-net@publication@278698181&Multilingual&Education&in&India